

असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

37] No. 37] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 2015/चैत्र 5, 1937

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 228

DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 2015/CHAITRA 5, 1937

IN.C.T.D. No. 228

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिस्चना

दिल्ली, 26 मार्च, 2015

सं.फा.12 / 06 / 2015 / डीडीसी / प्र.सु. / 2283-2452. — राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 27.05.2015 के मंत्रिमण्डल निर्णय सं. 2131 के अनुसार धारणाओं को सामने लाने और विश्व की श्रेष्ठ कार्य पद्धतियों तथा नीतियों पर विचार मंथन करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यवस्थागत परिवर्तन हेतु ठोस सिफारिशें करने के उददेश्य से, दिल्ली संवाद आयोग का गठन करती है ।

- दिल्ली संवाद आयोग का संघटन निम्न प्रकार होगा :-
 - मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (i)

अध्यक्ष

श्री आशीष खेतान, सुपुत्र श्री सुरेश चन्द्र खेतान (ii)

उपाध्यक्ष

उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (iii)

सदस्य

मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (iv)

- सदस्य सदस्य
- सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (v)
- प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (vi)
- अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जाने वाले दो गैर सरकारी सदस्य (vii)
- अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जाने वाला एक सदस्य सचिव (viii)
- दिल्ली संवाद आयोग के विचारणीय विशय निम्न प्रकार होंगे:
 - दिल्ली सरकार को सुभासन विशयक सलाह देना और दिल्ली को प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं के प्रौद्योगिकी आधारित समाधान देना ।
 - दिल्ली संवाद आयोग की सिफारिशों के शीध्र कियान्वयन हेतु कार्यनीति तैयार करना ।
 - समय-समय पर दिल्ली संवाद आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु सुझाव देना ।

- 4. दिल्ली संवाद आयोग अपने विजन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परामर्श के लिये विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ वाले कार्यबल /समितियों का गठन कर सकता है।
- दिल्ली संवाद आयोग की शर्ते निम्न प्रकार होंगी :
 - (क) आयोग का कार्यकाल वर्तमान दिल्ली सरकार के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा जिसका कार्यकाल 14 फरवरी को शुरू हुआ है।
 - (ख) दिल्ली संवाद आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमण्डल के निर्णय के आधार पर होगी।
 - (ग) अध्यक्ष को दिल्ली संवाद आयोग के दो गैर सरकारी_सदस्यों तथा एक सदस्य सचिव को मनोनीत करने का अधिकार होगा।
 - (घ) उपाध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्य अवैतनिक रूप में होंगे।
 - (ङ) दिल्ली संवाद आयोग तथा कार्यबल/समिति/समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को दिल्ली सरकार के सचिव पर लागू होने वाले मानकों के अनुसार यात्रा/मंहगाई भत्तों का भुगतान किया जाएगा।
 - (च) आयोग के पूर्वानुमोदन से आयोग तथा कार्यबल सामान्य या विशेष कार्यों के लिए व्यवसायिक विशेषज्ञों को प्रतियोगी बाजार दर पर रख सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, अरूण बरोका, सचिव (प्रशासनिक सुधार)

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 26th March, 2015

No.12/06/2015/DDC/AR/2283-2452.—The Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to set up the Delhi Dialogue Commission vide Cabinet Decision No. 2131 dated the 27th February, 2015, to consider ideas, identify the best practices and policies from around the world and translate these into concrete recommendations to the Government of NCT of Delhi for transformative change.

- 2. The composition of Delhi Dialogue Commission shall be as under:-
 - The Chief Minister, Government of National Capital Territory of Delhi Chairperson.
 - (ii) Sh. Ashish Khetan, S/o Sh. Suresh Chandra Khetan Vice Chairperson.
 - (iii) The Deputy Chief Minister, Government of NCT of Delhi-Member.
 - (iv) Chief Secretary, Government of NCT of Delhi-Member.
 - (v) Secretary to Chief Minister, Government of NCT of Delhi-Member.
 - (vi) Pr. Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi-Member.
 - (vii) Two non-official members to be appointed by the Chairperson.
 - (viii) A Member Secretary to be appointed by the Chairperson.
- 3. Terms of Reference of Delhi Dialogue Commission shall be as under:
 - (a) to advise Government of NCT of Delhi on governance and technological solutions to various problems afflicting Delhi
 - (b) to evolve strategy(s) for expeditious implementation of the recommendations made by the Delhi Dialogue Commission
 - (c) to suggest from time to time, remedies to overcome the bottlenecks experienced in implementation of the recommendations of Delhi Dialogue Commission
- Delhi Dialogue Commission may constitute Task forces/ Committees, on various subjects consisting of
 experts, to advise the Commission for fulfilment of the vision of the Delhi Dialogue Commission.
- The Terms and Conditions of the Delhi Dialogue Commission shall be as under:

- (a) The term of the Commission will be co-terminus with the term of the present Government of the NCT of Delhi, which assumed office on 14th February, 2015.
- (b) Vice chairperson of Delhi Dialogue Commission shall be appointed by a decision of the Cabinet.
- (c) The Chairperson shall have the powers to nominate two non-official members and a member secretary to Delhi Dialogue Commission and they shall hold office at the pleasure of the Chairperson.
- (d) The Vice Chairperson and non-official members shall be honorary positions.
- (e) The non-official members of the Delhi Dialogue Commission and the Task Force(s)/ Committee(s) will be paid TA/DA as per government norms applicable to the Secretary to the Government of NCT of Delhi.
- (f) The Commission and the Task Force with the previous approval of the Commission can hire professional experts from the market at competitive market rates, for general or specific Tasks.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, ARUN BAROKA, Secy. (AR)